थाना चन्दौली, दिनांक-23.07.2024

थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चन्दौली के रास्ते बिहार राज्य हेतु गोवंशों की तस्करी कर रहे 03 मैजिक वाहन से 06 गोवंशों को किया गया बरामद, तस्करी में सम्मिलित 04 तस्करों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 22.07.2024 को थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि कुछ तस्कर गोवंशीय पशुओ की तस्करी कर बिहार ले जा रहे है तथा बिहार से पशुओ को इकट्ठा करके कन्टेनर में भरकर पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जाते है।

उक्त सूचना पर उ0नि0 रावेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा चौकी प्रभारी नवहीं उ0नि0 सूरज सिंह के साथ भगवानपुर नहर पुलिया के पास सर्विस लेन पर पहुंचकर घेराबंदी कर वाहनों से रोड अवरूद्ध कर दिया गया। कुछ ही देर बाद तीन मैजिक वाहन जाम में आकर फंस गयी। संदिग्ध तीन मैजिक वाहनों की घेराबन्दी कर तीनो वाहनो पर बैठे हुये व्यक्तियो को समय करीब 00.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

मैजिक वाहनों की तलाशी के दौरान प्रत्येक मैजिक वाहन से गोवंशीय पशु बरामद किये गये।

 तलाशी के दौरान वाहन संख्या UP65 KT 3675 के चालक जितेन्द्र यादव पुत्र सुभाष यादव नि० कोरउत थाना लोहता जनपद वाराणसी (उम्र करीब 23 वर्ष) के कब्जे से 300 रुपया बरामद हुआ तथा उपरोक्त वाहन से 02 राशि गाय बरामद की गई।

 दूसरे मैजिक वाहन UP65 BT 7627 जिसके चालक सोनू बिन्द पुत्र लाल किशुन नि0 कठौरी पंचफेडवा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली (उम्र करीब 21 वर्ष) व परिचालक सुभाष बिन्द पुत्र त्रिलोकी प्रसाद नि० कठौरी पंचफेडवा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली (उम्र करीब 22 वर्ष) की तलाशी में 250 रुपया बरामद किया गया। उपरोक्त मैजिक वाहन की तलाशी के दौरान 02 राशि गाय बरामद की गई।

इसी क्रम में तीसरी मैजिक वाहन संख्या UP65 BT 4689 जिसके चालक दीपक यादव पुत्र माता प्रसाद यादव नि० भलवा थाना अदलाहट जनद मिर्जापुर (उम्र करीब 23 वर्ष) की तलाशी में 400 रुपया बरामद हुआ। उपरोक्त मैजिक 02 राशि गाय बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण:-

मौके पर पकड़े गये सभी अभियुक्तों से उक्त गोवंशो के परिवहन के सम्बन्ध में पूछताछ में यह बताया कि नरायनपुर से छुट्टा मवेशीयो को लादकर ला रहे है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में गोवंशीय पशुओं के वध हेतु परिवहन प्रतिबन्धित होने के कारण पुलिस को चकमा देने के लिये दो दो की संख्या में जानवरो का परिवहन करते है। जिन्हे बिहार में इकट्ठा कर वहां से कन्टेनर मे लादकर प० बंगाल ले जाते है। जिससे हम लोगो को अच्छी आमदनी हो जाती है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

मुं.अ.सं. 164/24 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना चन्दौली।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1.जितेन्द्र यादव पुत्र सुभाष यादव नि0 कोरउत थाना लोहता जनपद वाराणसी

2.सोनू बिंद पुत्र लाल किशुन नि0 कठौरी पचफेड़वा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.सुभाष बिंद पुत्र त्रिलोकी प्रसाद नि0 कठौरी पचफेड़वा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.दीपक यादव पुत्र माता प्रसाद यादव नि0 भलवा थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर

<u>बरामदगी</u>

06 राशि गोवंश।

03 मैजिक वाहन।

950 ₹ नकद।

<u>पुलिस टीम</u>

1.श्री गगन राज सिंह प्र0नि0 चन्दौली ।

2.उ0नि0 रावेन्द्र सिह चौकी प्रभारी मण्डी थाना व जिला चन्दौली ।

3.उ0नि0 श्री सूरज सिह चौकी प्रभारी नवही थाना व जिला चन्दौली ।

4.हे0का0 शिवचन्द सरोज थाना व जिला चन्दौली ।

5.का0 संजय पटेल   थाना व जिला चन्दौली ।

6.का0 छोटेलाल थाना व जिला चन्दौली ।

7.हो0गा0 मनोज यादव थाना व जिला चन्दौली ।